


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, जूनामीठा खेड़ा)
प्रकरण सं.:-48/2018
दिनांक:-01.06.2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1055

आदेश

वादी के वाद पत्र व पटवारी जूनामीठा खेड़ा एवं भू.अ.नि.सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम भावगिरीजी का मीठा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 में खाता संख्या 81 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भावगिरीजी का मीठा	81	609	मांगा पुत्र जामता	मांगीलाल पुत्र जामताराम शेष बदुस्तर


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:-01.06.2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1056-1058

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मांगीलाल पुत्र जामताराम जाति पुरोहित निवासी ^{भावगिरीजी मीठा} तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी